96.440 किलोग्राम डोडा जब्त, एक गिरफ्तार

राजसमन्द, (निसं)। चारभुजा पुलिस ने अवैध रूप से की जा रही तस्करी के चलते बड़ी कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से एक लोडिंग टेंपो तथा 96.440 किलोग्राम डोडा जब्त किया।

चारभुजा थाना अधिकारी प्रीति रत्नू ने बताया कि राजसमंद जिला पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता के आदेश एवं वृत्ताधिकारी कुंभलगढ़ ज्ञानेन्द्रसिह के निर्देशन पर जिले में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले वांछित अभियुक्त एवं आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए चलाये जा रहे अभियान के तहत थाने से पुलिस टीम का गठन किया जिसमें उप निरीक्षक थाना अधिकारी प्रीति रत्नू,धर्मेन्द्र चौधरी हैडकॉस्टेबल, महिपाल चारण हैड कांस्टेबल , विशेष योगदान विनोद पुरोहित हैड कांस्टेबल , साईबर सैल हेड कांस्टेबल शम्भुप्रतापसिह, विशेष योगदान थाने के आसूचना अधिकारी जेठाराम, महेन्द्रसिंह, कांस्टेबल नानजीराम, जितेन्द्र पाल चालक द्वार जोधपुर तरफ जाने वाले रास्ते झीलवाडा टोल नाके से पहले पहुंच नाकाबंदी शुरू की। तभी एक लोडिंग टेम्पो उदयपुर पासिंग आरजे 27 मेवाडिया तिराहा की तरफ से उसका चालक टेम्पो को तेज गति से आता दिखाई दिया ।

जहां चालक पुलिस की नाकाबंदी को देख थोडा धीरे हो गया तथा टेम्पों को पास में हेलीपेड की तरफ जाने वाले कच्चे रास्ते में घुमाते हुये कच्चे रास्ते से टेम्पो को भगाने लगा। जहां पुलिस ने शक के आधार पर उसका पीछा करते हुए पुलिस टीम द्वारा चालक को धर दबोच लिया।

जहां पूछताछ करने पर चालक ने अपना नाम मेमर बंजारा पिता आसु बंजारा जाति बजारा (30) निवासी छोगाबा खेडा मेणिया पुलिस थाना रेलमगरा जिला राजसमंद बताया। जिसमें कोई संदिग्ध या अवांछनीय वस्तु होने की संभावना होने से उक्त चालक व उसके कब्जे में मिले वाहन लोडिग टेम्पों की तलाशी ली।

जिसमें अवैध अफीम डोडाचूरा से भरे कटटों व बोरा का कुल वजन 96.440 किलोग्राम मिला जिसको एवं कार्य में लिया जाने वाला टेंपो को जप्त करते हुए एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान जारी है।

अवैध डोडा चूरा से भरी कार जब्त

उदयपुर, (कासं)। प्रतापनगर थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान तीस लाख रूपये का अवैध डोडा चुरा से भरी कार जब्त कर प्रकरण दर्ज किया।

जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश ओझा, पुलिस उपाधीक्षक छगन पुरोहित के सुपरविजन में प्रतापनगर थानाधिकारी राजेन्द्र सिंह चारण के नेतृत्व में एसआई अशोक कुमार मय टीम ने राष्ट्रीय राजमार्ग 76 पिंडवाड़ा की तरफ जाने वाले हाईवे पर केसरिया बालम कट, देबारी पर नाकाबंदी के दौरान आ रही कार को रूकने का इशारा किया। इस पर चालक कार लेकर भागा। जिस पर पुलिस दल ने पीछा कर करीब एक मिलो मीटर दूर रोड़ के किनारे चालक वाहन खड़ा कर भाग गया। इस पर पुलिस ने मौकेप र पहुंच कर तलाशी ली तो उसमें रखे 22 कट्टों में करीब 400.35 किलोठाम अवैध डोडा चुरा होना पाया गया।

जिला परिषद सभागार में संगोष्ठी आयोजित

उदयपुर, (कासं)। प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण कोष (पीएम केकेकेवाय) और जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) को स्थापित हुए मंगलवार को एक दशक पूर्ण हुआ। खनन प्रभावित क्षेत्रों में सामाजिक एवं आधारभूत विकास को गति देने के उद्देश्य से स्थापित यह कोष बीते एक दशक में जन-जीवन में बदलाव का पर्याय बन चुका है। जिले में अब तक हुए कार्यों पर नजर डालें तो स्वास्थ्य और पर्यटन समेत विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां सामने आई हैं। उदयपुर जिले में डीएमएफटी मद से पूर्ण हुए विभिन्न विकास के कार्यों ने आमजन को सीधी राहत पहुंचाई है।

दक्षिणी राजस्थान के सबसे बड़े राजकीय चिकित्सालय एमबी हॉस्पिटल में 15.25 करोड़ की लागत से डीएमएफटी मद अंतर्गत स्थापित 3.0 टेस्ला एमआरआई मशीन ने अब तक 25 हजार से अधिक मरीजों को निःशुल्क जांच सुविधा उपलब्ध कराई है। तीन वर्षों में 42 हजार से अधिक एमआरआई जांचें की जा चुकी हैं। निजी अस्पतालों में महंगे खर्च वाली जांच अब गरीब मरीजों को बिना शुल्क के मिल रही है। समय पर निदान होने से इलाज की प्रक्रिया भी तेज हुई है।

पर्यटन और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण उबेश्वर महादेव मंदिर परिसर का कायाकल्प भी डीएमएफटी की बड़ी उपलब्धि रही है। लगभग 4.77 करोड़ रुपए की लागत से एनीकट, झरना, तालाब, सीढ़ियां और पहुंच मार्ग का विकास कार्य पूरा किया गया। बरसात में यहां के झरने और हरियाली अब सैलानियों के आकर्षण का केंद्र बन चुके हैं। श्रद्धालुओं को भी सुविधाजनक वातावरण प्राप्त हो रहा है।

DIRECTORATE OF RESEARCH
Maharana Pratap University of Agriculture & Technology, Udaipur
No. MPUAT/DR/2025/2600 Dated: 16/09/2025

ADVERTISEMENT FOR RECRUITMENT

A walk-in-Interview to engage contractual SRF & Highly skilled person in the Research Projects as per the advertisement given on University website http://mpuat.ac.in will be held at DOR, Udaipur on 24.09.2025 at 11:00 AM. The engagement shall be purely on contractual basis and can be terminated at any time without any notice.

Sd/-
Director Research

कार्यालय उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर (राज.)

क्रमांक: उविप्र/नियमन रिकार्ड/2025/2636 दिनांक : 8/9/2025

आम-सूचना

निम्न आवेदन कर्ता द्वारा अपने भूखण्ड का वारीसान/वसीयत/हक त्याग/विक्रय पत्र के आधार पर अपने नाम पर नामान्तरण किये जाने हेतु ऑनलॉइन आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

क्र. सं.	भुखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (वर्गफीट)	राजस्व ग्राम एवं खसरा संख्या	आवेदक का नाम/ पिता का नाम	मृतक का नाम एवं स्वामित्व का आधार
1	42 (MUT No.4208)	1675	बेडवास खसरा नं. 208 से 211, 215 3406/1046	श्री लोकेश कुमार एवं श्री भूपेश कुमार पिता स्व.श्री शंकर लाल आचार्य निवासी:- खांकल देव की गली, राजपुरा, कानोड, उदयपुर (राज.)	श्री शंकर लाल आचार्य पिता श्री अम्बालाल जी आचार्य का स्वर्गवास दिनांक 15.09.2016 को होने पर उनके वारिसानो द्वारा किए गए पंजीकृत हक त्याग पत्र दिनांक 20.05.25 के आधार पर नामांतरण चाहा गया है।

अत: उपरोक्तानुसार उक्त भूखण्ड का वारिसान के आधार पर नामान्तरण पत्र जारी करने के संबंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/फर्म को किसी भी प्रकार की कोई भी आपत्ति/एतराज हो तो वो अपनी आपत्ति मय आधारो सहित इस सार्वजनिक सूचना पत्र के प्रकाशन से 07 दिवस की अवधि में इस कार्यालय में संबंधित शाखा के अन्दर इस कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर अधोहस्ताक्षर कर्ता को प्रस्तुत कर सम्बन्धित शाखा प्रभारी को लिपिक को प्रस्तुत करावें। अन्यथा बाद गुजरने मयाद आवेदक के नाम पर उक्त भूखण्ड का नामान्तरण-पत्र उपरोक्तानुसार आवेदको के नाम पर जारी कर दिया जावेगा।

रणजीत सिंह विढ़, तहसीलदार
उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर

कार्यालय उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर (राज.)

क्रमांक: उविप्र/नियमन रिकॉर्ड/2025/2617 **आम सूचना** दिनांक- 27/8/2025

निम्न आवेदन कर्ता द्वारा अपने भूखण्ड का वारीसान/वसीयत/हक त्याग/विक्रय पत्र के आधार पर अपने नाम पर नामान्तरण किये जाने हेतु ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत किया गया है:-

क्र सं	भुखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (वर्गफीट)	राजस्व ग्राम	आवेदक का नाम / पिता का नाम	मृतक का नाम एवं स्वामित्व का आधार
1.	56 (MUT No. 3877)	1500	रेबारियों का गुड़ा खसरा नं. 273 से 289, 796/286, 817/291, 858/336	श्रीमती लाल कुवर पत्नी स्व. श्री बाघ सिंह जी राठौड़ एवं गजेन्द्र सिंह, आयुवान सिंह पिता श्री बाघ सिंह जी राठौड़ एवं विनोद कुंवर पुत्री श्री बाघ सिंह जी राठौड निवासी- कृष्णाविहार, प्रताप नगर, उदयपुर (राज.)	श्री बाघ सिंह जी पिता श्री मोड सिंह जी राठौड का स्वर्गवास दिनांक 13-03-2019 को होने पर उनके वारिसानो द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र, शपथ पत्र के आधार पर नामांतरण चाहा गया है।

अत: उपरोक्तानुसार उक्त भूखण्ड का वारिसान के आधार पर नामान्तरण पत्र जारी करने के संबंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/फर्म को किसी भी प्रकार की कोई भी आपत्ति/एतराज हो तो वो अपनी आपत्ति मय आधारों सहित इस सार्वजनिक सूचना पत्र के प्रकाशन से 07 दिवस की अवधि में इस कार्यालय में संबंधित शाखा के अन्दर इस कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत कर सम्बधित शाखा प्रभारी को लिपिक को प्रस्तुत करावें । अन्यथा बाद गुजरने मयाद आवेदक के नाम पर उक्त भूखण्ड का नामान्तरण-पत्र/लीजडीड जारी की जा सकेगा।

डॉ. अभिनव शर्मा, तहसीलदार, उदयपुर विकास प्राधिकरण उदयपुर

स्कूल में अव्यवस्थाओं का अंबार

डूंगरपुर, (निसं)। पातेला में सेंट पोल स्कूल के हॉस्टल में स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग की टीम ने जॉइंट कार्रवाई की। जांच में हॉस्टल में 2 छात्राएं सहित 8 बच्चे गंभीर बीमार मिले। हॉस्टल में कमरों से लेकर सब जगह गंदगी मिली।

शहर के पातेला में सेंट पोल स्कूल के हॉस्टल में स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग की टीम ने जॉइंट कार्रवाई की। जांच में हॉस्टल में 2 छात्राएं सहित 8 बच्चे गंभीर बीमार मिले। बीमार बच्चों को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। वहीं दूसरे बच्चों के स्वास्थ्य की जांच के लिए कैंप लगाया। हॉस्टल में कमरों से लेकर सब जगह गंदगी मिली। खाने की प्लेटों में फंगस मिला। खाने के लिए पौष्टिक आहार नहीं मिल रहा था। यहां तक कि हॉस्टल में लाइट की सुविधा भी नहीं थी। जिस पर दोनों टीमों ने पूरी रिपोर्ट प्रशासन को दी है। जिस पर जांच की जा रही है। शहर के पातेला बस्ती में स्थित सेंट पोल स्कूल के हॉस्टल में अनियमितताओं की शिकायत प्रशासन की टीम जांच के लिए पहुंची। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी रणछोडलाल डामोर, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी अमृतलाल यादव, स्वास्थ्य विभाग से ब्लॉक सीएमएचओ डॉ.राहुल जैन,डीपीएम डॉ.मनीष शर्मा की टीम ने हॉस्टल की जांच की। हॉस्टल में कई जगह गंदगी के ढेर मिले। हॉस्टल के बिस्तर से लेकर कमरों में फंगस मिला।

श्रमिक वर्ग को शिक्षित, सशक्त करने की जरूरत : सारंगदेवोत

उदयपुर, (कासं)। दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार के क्षेत्रीय निदेशालय उदयपुर ने 68वां स्थापना दिवस का आयोजन हुआ।

इस अवसर पर क्षेत्रीय सलाहकार समिति की बैठक जनार्दनराय नागर राजस्थान विद्यापीठ विवि के कुलपति सचिवालय के सभागार में सम्पन्न हुई, जिसमें विभिन्न सरकारी विभागों, श्रम संगठनो एवं स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और अपने विचार प्रकट किये। श्रमिक शिक्षा के महत्व एवं श्रमिकों के सर्वांगीण विकास में इसकी भूमिका पर विस्तृत चर्चा की गई। प्रारंभ में पदेन सचिव व क्षेत्रीय निदेशक प्रभारी जगदीप सिंह ने प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए कहा कि देश को विकसित राष्ट्र बनाना है तो श्रमिकों के हाथ मजबूत करने होंगे। सिंह ने ई श्रम पोर्टल, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना की जानकारी दी। कुलपति एवं क्षेत्रीय सलाहकार समिति के अध्यक्ष प्रो. एस.एस. सारंगदेवोत ने कहा कि श्रमिक वर्ग शिक्षित एवं सशक्त करने की जरूरत है। श्रमिकों को देश की मुख्यधारा से जोड़ना और उन्हें स्थायी आत्म निर्भर बनाये देश विकास की ओर अग्रसर नहीं हो सकता है। श्रमिकों के प्रति मानवीय दृष्टिकोण रखना होगा। उन्होंने कहा कि हम कितना भी तकनीक का प्रयोग कर ले, लेकिन श्रमिको के श्रम की जरूरत हर समय रहेगी। संस्थापक मनीषी पंडित नागर ने 1937 में श्रमिकों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से ही रात्रिकालीन श्रमजीवी कॉलेज की स्थापना की, जिसमें दिन में काम करने वाले श्रमजीवियों को शिक्षा दी जाती थी। आज भी श्रमिक अपनी बूनियादी जरूरतों के लिए तरस रहा है।

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

मार्केट यार्ड शाखा, कृषि ऊपज मंडी के अन्दर
गेट नं. 1, सविना, उदयपुर, राजस्थान-313001
ई-मेल: udaraj@bankofbaroda.com

प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम, 2002, परिशिष्ट IV [नियम 8(1) देखें]

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्तियों के लिए)

जबकि

निम्नहस्ताक्षरकर्ता **बैंक ऑफ बड़ौदा** के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम संख्यांक 54) के अंतर्गत और धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित, ऋणी **मैसर्स अमरतिया वैष्णो देवी टाईगरहिल कंस्ट्रक्शन** प्रोपराईटर एवं जमानतदार **श्री कमलेन्द्र सिंह चुण्डावत पुत्र श्री हिम्मत सिंह चुण्डावत पर मांग सूचना दिनांक 30.06.2025** पर उस सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर **दिनांक 30.06.2025 को बकाया राशि रू. 80,67,964.22 (रूपये अस्सी लाख सड़सठ हजार नौ सौ चौंसठ एवं पैसे बाईस मात्र) (दिनांक 30.06.2025 तक ब्याज शामिल करते हुए) एवं इससे आगे का ब्याज व अन्य खर्चे व लागतों** का पुनर्भुगतान करने के लिए मांग सूचना जारी की गई।

ऋणी द्वारा राशि का पुनर्भुगतान करने में असफल होने पर एतद्वारा सूचना ऋणी और आम जनता को दी जाती है कि निम्नहस्ताक्षरकर्ता ने दिनांक **11, माह सितम्बर, वर्ष 2025** को उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत, उक्त अधिनियम की उपधारा 8 के साथ पठित उस पर प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में एतस्मिन नीचे वर्णित सम्पत्तियों को कब्जे में ले लिया है।

ऋणी को विशेष एवं आम जनता को एतद्वारा सम्पत्तियों के साथ कोई संव्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्तियों के साथ किया गया कोई भी संव्यवहार **दिनांक 30.06.2025 को बकाया राशि रू. 80,67,964.22 (रूपये अस्सी लाख सड़सठ हजार नौ सौ चौंसठ एवं पैसे बाईस मात्र) (दिनांक 30.06.2025 तक ब्याज शामिल करते हुए) एवं इससे आगे का ब्याज व अन्य खर्चे व लागतों** का पुनर्भुगतान करने के लिए **बैंक ऑफ बड़ौदा, मार्केट यार्ड शाखा, कृषि ऊपज मंडी के अन्दर, गेट नं. 1, सविना, उदयपुर, राजस्थान-313001** के प्रभार के अधीन होगा।

कर्जदार का ध्यान, प्रतिभूत आस्तियों को छुडाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13(8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है।

अचल सम्पत्तियों का वर्णन

सम्पत्ति 1- सम्पत्ति के सभी अभिन्न अंग गठित होते हैं जो कि श्री कमलेन्द्र सिंह चुण्डावत पुत्र श्री हिम्मत सिंह के नाम साम्यिक बंधक आवासीय फ्लैट नं. 304, टॉवर बी, द्वितीय तल, ''सिद्धि गणपति पार्क'', प्लॉट नं. 2, 3 एवं 4, खसरा नं. 55, 155, 156, 135, 136 एवं 137, सविना, सब-सिटी सेन्टर के पास, सेक्टर-8, उदयपुर, राजस्थान पर स्थित है, जिसका फ्लैट बिल्ट अप एरिया 995.00 वर्ग फीट है। **सीमाएं**- उत्तर: 40' रोड़, दक्षिण: खसरा नं. 154 एवं 140, पूर्व: प्लॉट नं. 01, पश्चिम: खसरा नं. 138 एवं 139

सम्पत्ति 2- सम्पत्ति के सभी अभिन्न अंग गठित होते हैं जो कि श्री कमलेन्द्र सिंह चुण्डावत पुत्र श्री हिम्मत सिंह के नाम साम्यिक बंधक सम्पत्ति आबादी खसरा नं. 1097 जो गाँव अमरतिया, तहसील आसपुर, जिला डूँगरपुर, राजस्थान पर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 3800.00 वर्ग फीट है। **सीमाएं**- उत्तर: श्री नाहर सिंह पुत्र श्री सरदार सिंह का मकान, दक्षिण: श्री नाथू लाल दर्जी की भूमि एवं मकान उसके बाद रोड़, पूर्व: स्वयं की 10 फीट भूमि उसके बाद सोम फिडर, पश्चिम: रोड़

हस्ता.
(भरत कुमार झा)
प्राधिकृत अधिकारी एवं मुख्य प्रबन्धक

स्थान : उदयपुर एवं डूँगरपुर
दिनांक: 11.09.2025

प्रारूप-10 (नियम-6 (7) देखिए)

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त नगर पालिका नाथद्वारा जिला-राजसमन्द

सं. 11735 दिनांक: 15/09/2025

लोक-सूचना

मारूतीनन्दन डवलपर्स जरिये भागीदार श्री निखिल सनाढ्य पिता श्री कन्हैयालाल निवासी वार्ड संख्या-14 बागरवाड़ा, नाथद्वारा जिला-राजसमन्द (राज.) इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का गैर कृषि प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात-

क्र.स.	तहसील का नाम जिले सहित	ग्राम का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल
1	नाथद्वारा जिला-राजसमन्द	नाथद्वारा	3270/1726, 3271/1728	0.1897 हैक्टेयर में से 1879.25 वर्गमीटर

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 07 दिन के भीतर-भीतर किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जावेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 15/09/25 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त, नगर पालिका नाथद्वारा

हमले का लेकर आक्रोश

कपासन, (निसं)। चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन में राजेश्वर तालाब में पानी की मांग को लेकर वीडियो बनाने वाले सूरज माली पर हुए हमले से क्षेत्र में आक्रोश है। हमले के बाद मंगलवार को माली समाज ने कांग्रेस के आव्हान पर रैली निकाली। रैली सुनार मंदिर चौक से शुरू होकर सदर बाजार, बस स्टैंड होते हुए पांच बत्ती चौराहे तक पहुंची।

दरअसल, बीती शाम भूपाल खेड़ा निवासी सूरज माली सिंहपुर फैक्ट्री से ड्यूटी के बाद घर लौट रहा था। इस दौरान गोरा जी का निंबाहेड़ा के पास स्कॉर्पियो में आए लोगों ने उस पर सरिये और लकड़ियों से हमला कर दिया। हमलावरों ने उसके दोनों पैर तोड़ दिए। फिलहाल सूरज सैनी का उदयपुर के अस्पताल में इलाज चल रहा है। जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। कपासन में राजेश्वर तालाब में पानी की मांग को लेकर वीडियो बनाने वाले सूरज माली पर हुए हमले से क्षेत्र में आक्रोश है। हमले के बाद मंगलवार को माली समाज ने लोगों के साथ मिलकर कांग्रेस के आव्हान पर रैली निकाली। रैली सुनार मंदिर चौक से शुरू होकर सदर बाजार, बस स्टैंड होते हुए पांच बत्ती चौराहे तक पहुंची।दरअसल, बीती शाम भूपाल खेड़ा निवासी सूरज माली सिंहपुर फैक्ट्री से ड्यूटी के बाद घर लौट रहा था। इस दौरान गोरा जी का निंबाहेड़ा के पास स्कॉर्पियो में आए लोगों ने सरिये और लकड़ियों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया।

जनसुनवाई स्थगित

उदयपुर, (कासं)। राज. सरकार के जन अभियोग निराकरण विभाग की ओर से बुधवार से ग्रामीण एवं शहरी सेवा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। उक्त शिविरों के आयोजन हेतु अधिकारियों, कर्मचारियों व जन-प्रतिनिधिगणों की व्यस्तता को दृष्टिगत रखते हुए गुरूवार को प्रस्तावित जनसुनवाई को स्थगित किया है। इसी प्रकार उदयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से बुधवार को होने वाली जनसुनवाई भी स्थगित कर दी गई।